

Central Goods & Services Tax Act, 2017

SCHEDULE III

[See Section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER
AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment.
2. Services by any court or Tribunal established under any law for the time being in force.
3. (a) the functions performed by the Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities and Members of other local authorities;
(b) the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity; or
(c) the duties performed by any person as a Chairperson or a Member or a Director in a body established by the Central Government or a State Government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause.
4. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased.
5. Sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.
6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.
- ¹7. Supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non- taxable territory without such goods entering into India.
8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;
(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption;]

²[*Explanation. 1*]—For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

1 Inserted "paragraph 7, 8" vide 'The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 30/08/2018.

2 Renumbered "Explanation" vide 'The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 30/08/2018.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

³**[Explanation.2]**—For the purposes of paragraph 8, the expression “warehoused goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962.]

³ Inserted “Explanation 2” vide ‘The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 30/08/2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अनुसूची

अनुसूची 3

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को दी गई सेवाएं।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीनस्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।
3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगर पालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए कृत्य;
(ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में निर्वहन किए गए कर्तव्य; या
(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में निर्वहन किए गए कर्तव्य और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए।
4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाह गृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं भी हैं।
5. भूमिका विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यक्षीन भवन का विक्रय।
6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे।
- 1[7. गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति।
8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति;
(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।]

स्पष्टीकरण 2[1].-पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" पद के अन्तर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी हैं।

3[स्पष्टीकरण 2.-इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का क्रमांक 52) में उसका है।]

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा पैरा 7 एवं पैरा 8 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःक्रमांकित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।